संख्या-02-2021-वे0आ0-2-81/दस-04(एम)/2011

प्रेषक,

एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 19 फरवरी, 2021**

विषयः- वेतन समिति (1997-99)/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर सामान्य कोटि के पदों के संबंध में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-694/दस-04(एम)/2011, दिनांक 11 मई, 2011 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि यदि किसी विभाग द्वारा सामान्य कोटि के पदों/संवर्गों के संबंध में वेतन समिति (1997-99)/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों को लागू कराये जाने हेतु विभागीय आदेश निर्गत नहीं किया गया है तो सम्बन्धित विभागों द्वारा उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु विभागीय आदेश दिनांक 30 जून, 2011 तक आवश्यक रूप से निर्गत करा लिये जायें एवं यदि विभागों द्वारा उक्त तिथि के उपरान्त सामान्य कोटि के पदों/संवर्गों के संबंध में वेतन समिति (1997-99)/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों को लागू किये बिना ही वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के सन्दर्भ में लिये गये निर्णय को लागू कर दिया जायेगा।

2. उक्त निर्णय के संबंध में यह अनुभव किया गया है कि जिन विभागों द्वारा उक्त तिथि 30 जून, 2011 तक शासनादेश दिनांक 11 मई, 2011 में उल्लिखित संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन संबंधी आदेश निर्गत नहीं कराये गये वहाँ संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों का लाभ प्राप्त न होने के कारण प्रभावित कार्मिकों द्वारा मा0 न्यायालयों में वाद योजित किये गये हैं और इससे असमंजसपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः सम्यक विचारोपरान्त मुझे आपसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी है कि यदि आप द्वारा उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 11 मई, 2011 में उल्लिखित संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन के संबंध में विभागीय आदेश निर्गत कराया जाना शेष हो तो वित्त विभाग में तत्काल प्रस्ताव प्रस्तुत कर एतदविषयक विभागीय आदेश निर्गत करा लें।

भवदीय,
एस0 राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-02-2021-वे0आ0-2-81(1)/दस-04(एम)/2011,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I एवं II तथा (आडिट)-I एवं II
उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

http://shasanadesg.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।